संख्या–103 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–4

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 16 जनवरी, 2023

विषय–प्रदेश में निराश्रित गोवंश के दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण एवं उनका भरण–पोषण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इसी क्रम में दिनांक 31.03.2023 तक निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण किये जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2264 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 07.11.2022 एवं शासनादेश संख्या–05 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18–टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 निर्गत किया जा चुका है।

2. शासन स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि अभी तक शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश का संरक्षण नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रगति न होने का एक प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर की उपलब्धता अत्यन्त कम होना है। अतः प्रत्येक तहसील हेतु न्यूनतम एक कैटिल कैचर दिनांक 31.01.2023 तक क्रय कर लिये जाय।

3. इसी प्रकार समीक्षा में SFC फण्ड पूलिंग की प्रगति भी अत्यन्त न्यून पायी गयी है। अतः Parent ग्राम पंचायत को तत्काल पूलिंग के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जाय, जिससे निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में धनाभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। उपर्युक्त SFC फण्ड पूलिंग एवं कैटिल कैचर के समय से क्रय हेतु मुख्य विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

4. उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र (दुर्गा शंकर मिश्र)
Date: 16-01-2023 11:54:01
Reason: Approved
मुख्य सचिव।

संख्या– 103(1)/सैंतीस–2–2023तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।